।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no-01372–252175

पत्रांक1393 / 12–1 ,गोपेश्वर, दिनांक ~~सितम्बर~~ 20/10/2020।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड–।
कर्णप्रयाग।

विषयः– जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग के किमी0 10 से मोपाटा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.008 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– **आपका पत्रांक एन0पी0सी0सी0 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / 117 दिनांक 16.10.2020.**

महोदय,

आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में **भारत सरकार एव वन मंत्रालय के पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 85 / 2020 / एफ0सी0 / 1563 दिनांक** 14.10.2020 से निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा मांग पत्र हेतु लिखा गया है, उक्त मोटर मार्ग के सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुसार इस कार्यालय द्वारा मांग पत्र प्रेषित की जा रही हैः–

1– शर्त सं0 03(क) के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 3.008 है0 गैर वानिकी भूमि अवनत वन भूमि कालोडाण्डा रि0 कक्ष सं0 3ब पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा एवं प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु देय धनराशि प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0 972 / 3–5–2(II) दिनांक 21.11.2017 में उल्लिखित वसूली वर्ष 2020–21 के लिये निर्धारित दर रू0 3,37,184.00 के अनुसार 6.016 है0 /= 20,28,498.944 या रू0 20,28,499.00 मात्र जमा की जानी है।

2. शर्त सं0 4(क) के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरो के अनुसार 3.008 है0 दर रू0 8,45,000.00= रू0 25,41,760.00 जमा की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मांग पत्र को ऑन लाईन अपलोड करते हुए अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा सत्यापन होने पर ऑनलाईन चालान से ही धनराशि Ad-hoc कैम्पा में जमा करने के पश्चात् सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार संलग्नकों सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराये का कष्ट करे। ताकि सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या उच्च स्तर को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक / , दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned by CamScanner